

राजस्व अपील संख्या 107/2024 अनवान श्रीमती सीता बनाम खीयाराम व अन्य

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 107/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्टस
1. श्रीमती सीता पुत्री स्व.श्री बस्तीराम पत्नि श्री गेनाराम जाति जाट निवासी ग्राम जालेली दर्ईकड़ा तहसील व जिला जोधपुर		1. खीयाराम पुत्र श्री बस्तीराम 2. हजारीराम पुत्र श्री बस्तीराम 3. पप्पूराम पुत्र श्री बस्तीराम 4. श्रीमती मिठुदेवी पत्नि श्री दौलाराम 5. कृष्णा पुत्र श्री दौलाराम 6. पूनम पुत्री श्री दौलाराम 7. गौरव पुत्र श्री दौलाराम (गौरव नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती मिठुदेवी) सभी जातियान जाट निवासी ग्राम खोखरिया तहसील व जिला जोधपुर
		8. श्रीमती हीरी पुत्री श्री बस्तीराम पत्नि श्री मोहनराम जाति जाट निवासी ग्राम दर्ईकड़ा तहसील व जिला जोधपुर
		9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावास खुर्द जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत किया गया।

- उपस्थिति:-
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोरा उपस्थित।
 2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री पदमसिंह राजपुरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 05.12.2024

अपीलान्ट श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री बस्तीराम पत्नि श्री गेनाराम जाति जाट निवासी ग्राम जालेली दर्ईकड़ा तहसील व जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोंडेन्ट खीयाराम पुत्र श्री बस्तीराम जाति जाट निवासी ग्राम खोखरिया तहसील व जिला जोधपुर के विरुद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावास खुर्द को अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि तक निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम गुजरावास खुर्द तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 71 रकबा 69.11 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि पूर्व में अपीलान्ट के पिता बस्तीराम व अन्य खातेदारों के सहखातेदारी में दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता बस्तीराम व अन्य खातेदारों के



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सहखातेदारी में दर्ज थी। अपीलान्त के पिता बस्तीराम के देहान्त के पश्चात उनके हक हिस्से की भूमि पर बस्तीराम के विधिक वारिसान जिनमें अपीलान्त सीता, बस्तीराम की पुत्री हीरी व पत्नि रूकी व पुत्र खीयाराम, हजारीराम, पप्पुराम व दौलाराम संयुक्त रूप से काबिज काशत हो गये जो आज दिनांक तक सभी संयुक्त रूप से काबिज उपभोग उपयोग चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित खसरा संख्या 71 में अपीलान्त के पूर्व पुरुष बस्तीराम के हक हिस्से की भूमि में अपीलान्त का 1/6 हक हिस्सा बनता है उस पर अपीलान्त अपने पुश्तैनी हक अधिकार की भूमि पर काबिज काशत चली आ रहीं हैं लेकिन अभी हाल ही में रेस्पोजेन्ट ने मिलीभगत कर अपीलान्त के हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नीयत से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1940 के जरिये अपीलान्त का नाम खातेदारी से हटा दिया जिसका कोई अधिकार रेस्पोजेन्टस को नहीं है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्त के हितो के विरुद्ध अवैध व प्रभाव शून्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1940 तहसीलदार जोधपुर द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पोजेन्ट के साथ मिलीभगत कर स्वीकृत किया गया जो अवैध है। उक्त नामान्तरकरण विरासत व हकतर्कनामा दोनों का एक साथ किया गया है जो गलत है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही नोटिस दिया गया एवं न ही रिकॉर्ड व मौके की जांच की गई जिससे उक्त नामान्तरकरण विधि विरुद्ध होने से काबिले खारिज है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार ने गलत तरीके से स्वीकृत किया है वास्तव में विरासत का नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जांच कर प्रस्ताव लिया जाकर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार व अस्वीकार किया जाता है लेकिन उक्त नामान्तरकरण में ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया एवं हल्का पटवारी व तहसीलदार ने बिना जांच किये रेस्पोजेन्ट के साथ मिलीभगत कर स्वीकृत किया जो अवैध है। यदि हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया जाता एवं ग्राम पंचायत 45 दिन तक कोई नामान्तरकरण पर कार्यवाही नहीं करती है तो हल्का पटवारी नामान्तरकरण तहसीलदार के समक्ष पेश कर सकता है लेकिन उक्त नामान्तरकरण में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अपीलाधीन नामान्तरकरण में विरासत व हकतर्कनामा के आधार पर एक ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जबकि विरासत व हकतर्कनामा के आधार पर दर्ज किये जाने वाले नामान्तरकरणों की प्रक्रिया अलग अलग होती है। विरासत के नामान्तरकरण में मृतक के विधिक वारिसानों की जांच की जाती है। मृतक के विधिक वारिसान को जरिये नोटिस सूचित किया जाता है एवं विरासत के नामान्तरकरण से पूर्व ग्राम पंचायत से मृतक की वंशावली रिपोर्ट ली जाती है लेकिन उक्त नामान्तरकरण में हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व निष्पादित दस्तावेज की जांच की जाती है। हकतर्कनामा करने वाले व्यक्ति को सूचना दी जाती है व ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास किया जाता है उसके बाद नामान्तरकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है लेकिन उक्त नामान्तरकरण विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर जल्दबाजी में स्वीकृत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण व विधि विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी अपीलान्त को प्रथम बार दिनांक 21.12.2022 को होने पर अपीलान्त ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की नकल व अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 26.12.2022 को लेकर अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवा कर अविलम्ब प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई


अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 107/2024 अनवान श्रीमती सीता वनाम खींयाराम व अन्य


का अवसर दिये बिना, उक्त विवादित नामान्तरकरण के निस्तारण में तथ्यों की जांच किये बिना एवं आस पड़ौस के खातेदारों व मौके कि जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट के साथ मिलीभगत कर उक्त आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, जो गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावासखुर्द को निरस्त किया जाने एवं ग्राम गुजरावासखुर्द के खसरा संख्या 71 रकबा 69.11 बीघा भूमि में अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल गोरा ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावासखुर्द को निरस्त किया जाने एवं ग्राम गुजरावासखुर्द के खसरा संख्या 71 रकबा 69.11 बीघा भूमि में अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के अधिवक्ता श्री पदमसिंह राजपुरोहित ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम गुजरावासखुर्द के खसरा संख्या 71 रकबा 69.11 बीघा भूमि के संबंध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 08 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 के पक्ष में एक हकतर्कनामा निष्पादित किया जो कि दिनांक 01.06.2022 को उप-पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर में पंजीबद्ध हुआ। उक्त भूमि पर हकतर्कनामा के आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावास खुर्द का जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने व तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावास खुर्द को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन विचारण करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ग्राम गुजरावास खुर्द के खसरा संख्या 71 रकबा 69.11 बीघा भूमि में अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम गुजरावास खुर्द के उक्त विवादित खसरा की भूमि के संबंध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 08 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 के पक्ष में एक हकतर्कनामा निष्पादित किया जो कि दिनांक 01.06.2022 को उप-पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर में पंजीबद्ध हुआ है। यदि खातेदार की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित खसरा की भूमि के संबंध में उक्त हकतर्कनामा द्वारा अन्य उतराधिकारियों के पक्ष में अपने अधिकारों का त्याग कर दिया गया है तो समस्त उतराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शेष उतराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुजरावास खुर्द की उक्त खसरा की भूमि पर रेस्पोडेन्टस के पक्ष में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा निष्पादित किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावास खुर्द का स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट को अपने अपने हक व अधिकार के लिए उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा


अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर



राजस्व अपील संख्या 107/2024 अनवान श्रीमती सीता बनाम खीयाराम व अन्य

नहीं किया जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाने हेतु इस न्यायालय में अपील की गयी है। उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के आधार पर ग्राम गुजरावास खुर्द के उक्त खसरा की भूमि पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावास खुर्द का जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1940 ग्राम गुजरावास खुर्द को यथावत रखा जाता है। अपीलान्त अपने हक व अधिकारों हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

